न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रदीपसिंह सागांवत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः– डिक्री 97 सन 2017

पंजीयन दिनांकः– 9.6.2017

1.टीकमचंद पिता लेहरू जाति जाट निवासी चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ ।

2.मोहनलाल पिता लेहरू जाति जाट निवासी चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ ।

3.गीता पत्नी लेहरू जाति जाट निवासी चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ

–अपीलांटगण/प्रतिवादीगण

विरूद्ध

1.तुलसी पत्नी लेहरू जाति जाट निवासी चन्देरिया हाल मुकाम चोगावडी तहसील गंगरार जिला चितौडगढ।

2.राधी पुत्री लेहरू पत्नी नानूराम जाट निवासी–चन्देरिया हाल मुकाम घटियावली तहसील व जिला चितौडगढ।

3.'शंकरी पुत्री लेहरू जाट पत्नी प्रेमचंद जाट निवासी–चन्देरिया हाल मुकाम चोगावडी तहसील गंगरार जिला चितौडगढ।

4.सीता पुत्री लेहरू पत्नी शिवलाल जाट निवासी–चन्देरिया हाल सोनगर की खेडी तहसील व जिला चितौडगढ।

5.गीता पुत्री लेहरू पत्नी स्व.बालू जाट निवासी–चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ ।

6. शांति पुत्री लेहरू पत्नी शंभूजाट निवासी–चन्देरिया हाल नयाखेडा दौलतपुरा तहसील व जिला चितौडगढ।

7.रामलाल पिता भूरा जाट निवासी–चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ ।

8.बैंक आफ बडौदा 'शाखा सेंती जरिये प्रबन्धक बैंक ऑफ शाखा सेंती चितौडगढ ।

9.उपपंजीयक अधिकारी पंजीयन कार्यालय चित्तौडगढ तहसील व जिला चितौडगढ।

10.भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ तहसील व जिला चितौडगढ ।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ प्रकरण संख्या 329/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017

उपस्थित–श्री शिवनारायण जाट– अधिवक्ता अपीलांटगण

श्री शांतिलाल बसेर– अधिवक्ता रेस्पो 1 से 4

रेस्पोडेंटगण 5 से लगायत 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित

श्री पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अधिवकता रेस्पो0 9 व 10

राजस्व अपील प्राधिकारी
चितौडगढ (राज.)

निर्णय

दिनांकः- 27.12.2023

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोर्डेन्टगण संख्या 1 से 4 वादीगण ने एक वाद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-53-88-188-209 के अन्तर्गत मौजा चन्देरिया पटवार हल्का रोलाहेड़ा तहसील चितौडगढ की पुस्तैनी कृषि आराजियात में स्थित वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्वामित्व एवं पुश्तैनी कृषि आराजियात आराजी नम्बर 2,3,4,5,6 किता-5 रकबा 4.22 हैक्टेयर एवं मौजा पुठौली तहसील चितौडगढ की आराजी नम्बर 1899,1899/2448,1900,1901,1902,1903 किता-6 रकबा 2.36 हैक्टेयर जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 6 रामलाल का 1/2 हिस्सा निहित है। रेस्पोडेंट वादीगण व अपीलांटगण प्रतिवादीगण पुत्र पुत्रियां व पत्नी है। मूल खातेदारी लेहरू ने दो शादियां की थी जिसमें तुलसी के रेस्पोडेंट प्रतिवादी व शान्ति तथा नातायत पत्नी गीता के दो पुत्र अपीलांट संख्या 1,2 हुए। विवादित कृषि आराजियात रेस्पोडेंटगण वादीगण अपीलांटगण प्रतिवादीगण की पैतृक व पुश्तैनी है। जिसमें रेस्पोडेंटगण वादीगण अपना निहित 1/8 हक हिस्से की घोषणा कराने का वादपत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंटगण 1 से 4 वादीगण की ओर से प्रस्तुत होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण 5 से 10 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलांटगण प्रतिवादीगण सम्मन नोटिस की पालना में उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया । तत्पश्चात पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात विचाराधीन थी इसी के साथ एक अन्य प्रकरण प्रकरण संख्या 42/2010 अपीलांटगण की ओर से विचाराधीन था कि उपरोक्त कृषि आराजियात जो चन्देरिया व पुठौली में स्थित है। उपरोक्त के अलावा मौजा पुठौली की कृषि आराजी 1913 रकबा 1.06 हैक्टर आराजी नम्बर 2216/2515 रकबा 0.04 हैक्टर भी अवस्थित है। उपरोक्त सभी कृषि आराजियात मूल पुरूष लेहरू जाट की स्वअर्जित है जो घासी दरोगा व धापू जाट से क्रय की थी। स्वर्गीय लेहरू उपरोक्त सभी कृषि आराजियात अपीलांटगण को दिनांक 23.06.2003 को वसीयत की थी जिससे अपीलांट समस्त कृषि आराजियात की खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। उक्त वादपत्र प्रकरण संख्या 329/2012 के साथ दिनांक 02.03.2012 को समेकित किये जाने का आदेश पारित किया व प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी मे विचाराधीन था। दिनांक 02.06.2016 को उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट रोलाहेडा में नियत की जाकर अपीलांटगण के बिना जानकारी के निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 2,4 व 5 ने इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 2,4 व 5 की ओर से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर अपील पंजीबद्ध होकर रेस्पोडेंटगण वादी प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 जरिये अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित हुए व रेस्पोडेंट संख्या 5 से लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली जरिये पत्रांक तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में तनकियात कायम की जाकर दिनांक 10.04.2017 को पत्रावली वास्ते साक्ष्य विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रोलाहेडा में उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत की गई। जिसकी अपीलांटगण प्रतिवादीगण को कोई सूचना नही दी गई। राजस्व लोक अदालत रोलाहेडा में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई लिखित राजीनामा प्रस्तुत नही हुआ। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को बिना साक्ष्य सबूत के प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण 2,4 व 5 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजियात रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 अपीलार्थीगण व अन्य प्रतिवादीगण की पैतृक मौरूसी पैतृक आराजियात है। अपीलांटगण ने मृतक स्वर्गीय लेहरू से उक्त कृषि आराजियात के सम्बन्ध में दिनांक 23.06.2003 को गलत वसीयतनामा निष्पादित व पंजीकृत करवा दिया है। मौरूसी जायदाद खातेदार किसी व्यक्ति विशेष का वसीहत नही कर सकता है। इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022 पार्ट 2 पेज 1193 प्रस्तुत किया जिसमें खातेदार के द्वारा अपने दो पुत्रों के पक्ष में की गई वसीहत को अवैध व शून्य माना है। जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 जो कि मृतक खातेदार लेहरू की पत्नी व पुत्रिया है को वैधानिक उतराधिकारी मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने गुणावगुण पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को गलत होना मानते हुए निरस्त कर रेस्पोडेंटगण का वादपत्र डिक्री किया है जिससे अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पैतृक व मौरूसी जायदाद के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 वादीगण ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2022 पार्ट 2 पेज 1193 का अवलोकन किया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने भैरूलाल बनाम भगवतीलाल की अपील टी0ए0 2508/2010 चितौडगढ निर्णय दिनांक 15.07.2022 में निर्णय पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि पैतृक संपति पिता किसी एक संतान को वसीहत कर अन्य वारिसान को वंचित कर सकता है जो इस प्रकरण पर चस्पा होती है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 वादीगण की ओर से लेहरू की विरासत में बराबर बराबर हक व हिस्सा चाहा है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी वारिसान का बराबर बराबर हक व हिस्सा पारित किया है। ऐसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ते में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में अनियमितता मानी जा सकती है परन्तु वैधानिक दृष्टि से अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत होने से अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 2,4 व 5 की ओर से प्रस्तुत अपील वैधानिक दृष्टि से स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीसंख्या 2,4 व 5 की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ प्रकरण संख्या 329/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्य प्रति के साथ लौटाई जावें।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
आर.ए.एस.
चितौडगढ
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

परिशिष्ट 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 97/2017/डिक्री

1.टीकमचंद पिता लेहरू जाति जाट निवासी चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ ।

2.मोहनलाल पिता लेहरू जाति जाट निवासी चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ ।

3.गीता पत्नी लेहरू जाति जाट निवासी चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ

-अपीलांटगण/प्रतिवादीगण

विरूद्ध

1.तुलसी पत्नी लेहरू जाति जाट निवासी चन्देरिया हाल मुकाम चोगावडी तहसील गंगरार जिला चितौडगढ।

2.राधी पुत्री लेहरू पत्नी नानूराम जाट निवासी-चन्देरिया हाल मुकाम घटियावली तहसील व जिला चितौडगढ।

3.'शंकरी पुत्री लेहरू जाट पत्नी प्रेमचंद जाट निवासी-चन्देरिया हाल मुकाम चोगावडी तहसील गंगरार जिला चितौडगढ।

4.सीता पुत्री लेहरू पत्नी शिवलाल जाट निवासी-चन्देरिया हाल सोनगर की खेडी तहसील व जिला चितौडगढ।

5.गीता पुत्री लेहरू पत्नी स्व.बालू जाट निवासी-चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ ।

6. शांति पुत्री लेहरू पत्नी शंभूजाट निवासी-चन्देरिया हाल नयाखेडा दौलतपुरा तहसील व जिला चितौडगढ।

7.रामलाल पिता भूरा जाट निवासी-चन्देरिया तहसील व जिला चितौडगढ ।

8.बैक आफ बडौदा 'शाखा सेंती जरिये प्रबन्धक बैंक ऑफ शाखा सेंती चितौडगढ ।

9.उपपंजीयक अधिकारी पंजीयन कार्यालय चित्तौडगढ तहसील व जिला चितौडगढ।

10.भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ तहसील व जिला चितौडगढ ।

-रेस्पोडेन्टगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ प्रकरण संख्या 329/2012 निर्णय व डिकी दिनांक 02.06.2017 वाद पत्र बाबत घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांटगण प्रतिवादीसंख्या 2,4 व 5 की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ प्रकरण संख्या 329/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रुपये है,.. ..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ